[RCMS No- 2018/00099]

दंडपुर

File No.

3-3-18 मु०नं० 14/18 — दर्ज दि० 16-2-18 — कि० प्रकरण वादपत्र — नि० दिनांक 24-12-19 — ता० पेशी

२७/४/18

न्यायालय → उपजिला कलेक्टर महोदय मलारना डूंगर

मु० नं० 14/18 ता० दर्ज 16-2-18 किस्म दावा

24/4

9/5

14/5

~~8/6/18~~

23/5/18

5/6

8/6

21/6

Name घनश्याम वगै० बनाम तहसीलदार

दावा (इन्द्राज दुरस्ती)

Address

Subject

Deptt.

From To

Scanned by CamScanner

निर्णय न्यायालय श्री मनोज कुमार वर्मा, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट मलारनाडूंगर जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
14/2018	16.2.2018	24/12/19

1. घनश्याम पुत्र जोला (जालम),ढोली नि0तारनपुर तह0मलारनाडूंगर(मृतक)
1/1.हंसराज पुत्र घनश्याम, ढोली निवासी तारनपुर तहसील मलारनाडूंगर
1/2.गोविन्दी पत्नी घनश्याम, ढोली निवासी तारनपुर तहसील मलारनाडूंगर
1/3.नवल वाई पुत्री घनश्याम, ढोली निवासी तारनपुर तहसील मलारनाडूंगर
1/4.ममतेशपुत्री घनश्याम, ढोली निवासी तारनपुर तहसील मलारनाडूंगर
1/5.रूपसिंहपुत्र कन्हैया, ढोली निवासी तारनपुर तहसील मलारनाडूंगर
1/6.संतोष पुत्र कन्हैया नावालिग जरिए संरक्षिका माता नाथी पत्नी कन्हैया
1/7.सागर पुत्र कन्हैया नावालिग जरिए संरक्षिका माता नाथी पत्नी कन्हैया
1/8.सुमेन्द्र पुत्र कन्हैया नावालिग जरिए संरक्षिका माता नाथी पत्नी कन्हैया
1/9.नाथी पत्नी कन्हैया, ढोली निवासी तारनपुर तहसील मलारनाडूंगर
2. कजोड पुत्र जोला (जालम), ढोली निवासी तारनपुर तह0 मलारनाडूंगर

——वादीगण

बनाम

तहसीलदार तहसील मलारनाडूंगर ——प्रतिवादी

दावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित :—श्री शंभु लाल मीना, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम तारनपुर में भूमि ख0नं0 9 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा, ख0नं0 131 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा, ख0नं0 246 रकबा 4 विस्वा, ख0नं0 474 रकबा 3 बीघा 6 विस्वा, ख0नं0 536 रकबा 2 बीघा 18 विस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 8 बीघा 16 विस्वा के वादीगण सहखातेदार काश्तकार हैं। वादीगण के पूर्वज कृषि कार्य के अलावा ग्राम में ढोल बजाने का कार्य करते रहे हैं एवं इसी आधार पर जाति ढोली का नामाकरण हुआ है तथा वादीगण के पूर्वजों को ढोली कहकर पुकारा जाता रहा है। पुराने राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पूर्वजों के नाम के आगे ढोली लिखा जाता रहा है। राजस्थान में गुर्जर आन्दोलन के समय तहसील कार्यालय बौली में आग लग जाने के कारण समस्त रिकार्ड जल गया। वादी कजोडमल का परिवार राशनकार्ड वर्ष 1977 में बना है उसमें वादी की जाति ढोली अंकित है। इसी प्रकार वादी की संतानों के जाति प्रमाणत्र में जाति ढोली अंकित है। जमाबंदी सं0 2044 से 2047 तक में वादी

Scanned by CamScanner

के नाम के आगे जाति शब्द को काटकर राणा लिखा गया है जिसे शुद्ध कराने का वादीगण को हक हासिल है। वादीगण के एवं वादीगण की संतानों के सभी सरकारी दस्तावेजो में जाति ढोली अंकित है एवं राजस्व रिकार्ड में जाति राणा अंकित है ऐसी स्थिति में वादीगण को अपनी आराजी रहन व बेचान करने में अनावश्यक रूप से कठिनाईयां आ रही है ऐसी स्थिति में राजस्व रिकार्ड में जाति को शुद्ध कराना आवश्यक हुआ है। राजस्व रिकार्ड में वादीगण के अन्य कुटुम्बियों के नाम के आगे जाति ढोली अंकित है सिर्फ वादीगण के नाम के आगे ही राणा अंकित हो गया है। अतः दावा प्रस्तत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा डिक्री फरमाया जाकर वादीगण की जाति ढोली होने से राजस्व रिकार्ड में जाति राणा के स्थान पर ढोली अंकित की जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया । प्रतिवादी बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए इसलिए प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने वादी कजोडमल के पुत्र बाबूलाल ढोली के जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, मूल निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति, उच्च माध्यमिक परीक्षा वर्ष 2003 की मार्कशीट की छायाप्रति, माध्यमिक परीक्षा वर्ष 2001 की मार्कशीट की छायाप्रति, कजोडमल ढोली के जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आधारकार्ड की छायाप्रति, भामाशाह कार्ड की छायाप्रति, नरेगा जोबकार्ड की छायाप्रति, राशनकार्ड की छायाप्रति, पुत्र सोनसिंह के जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पेनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, आधारकार्ड आदि की छायाप्रतियां, पुत्री मनीषा के मूल निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां, नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 ग्राम तारनपुर की छायाप्रति, नकल जमाबंदी सं0 2044 से 2047 की छायाप्रति प्रस्तुत की है एवं बयान वादी कजोड ढोली के कराए हैं।

बहस विद्धान वकील वादीगण सुनी गई। वादीगण के विद्धान वकील ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादीगण का दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा वादपत्र में प्रस्तुत दस्तावेजात नकल जमाबंदी सं0 2044 से 2047 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस जमाबंदी में जेल्या पुत्र

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला मजिस्ट्रेट
मलारना डूंगर

हरचन्दा की जाति राणा दर्ज है। वादीगण मृतक जेल्या के वारिस हैं तदनुसार इनकी जाति वर्तमान राजस्व अभिलेख में राणा दर्ज की गई है जो साबिक अभिलेख के अनुसार सही है। वादीगण ने ऐसा कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें वादीगण की या उनके पिता जेल्या की जाति ढोली अंकित रही हो। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/12/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/12/19

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारनाडूंगर

उप जिला कलेक्टर मलारना डूंगर (स.मा.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Verma
Date: 2020.06.23 12:47:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: